

परिपत्र

निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र 92 दिनांक 11.01.2019, क्रमांक 51, 52, 53 दिनांक 22.02.2019 जिसमें अवकाश, अध्ययन अवकाश, स्थायीकरण, एसीपी स्वीकृत किये जाने के संबंध में एवं निदेशालय के पत्र क्रमांक 88 दिनांक 29.03.2019 के साथ संलग्न चैक लिस्टों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु इसकी अनुपालना में आज दिनांक तक चैक लिस्ट अनुसार पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर यथा समय निदेशालय को प्रेषित नहीं किये जाने से कार्य निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब/आक्षेप की स्थिति बनी रहती है।

अतः इस संबंध में पुनः समस्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त प्रकरणों की जांच कर चैक लिस्ट अनुसार निदेशालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सके इसमें किसी भी प्रकार की भविष्य में त्रुटि/विलम्ब की स्थिति में संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

Sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2(F) / P-28 / 2019 / 681

दिनांक:- 15/5/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मान0 मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मान0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुरच्छ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, एव नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह राजस्थान।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि अपने अनुभाग में प्राप्त प्रकरणों का निष्पादन यथा समय सुस्पष्टता के साथ प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करे।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

2

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।